

भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त,
केन्द्रीय राजस्व भवन, मेन रोड, राँची

सं०सं०आ०आ०/राँची/तकनीकी/ VIII-103/12A/2009-10/ राँची, दिनांक.....

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A/AA के तहत आदेश

"Cholanagpur Kalpan Niketan" Simdegaने
आयकर अधिनियम, 1961 की उपर्युक्त धारा के तहत निबंधन हेतु अपना आवेदन विहित प्रपत्र में
दिनांक... 04/05/09... को अपने सविधान दिनांक... 20/12/2008... की प्रतिलिपि के साथ दिया है।
उक्त आवेदन निर्धारित समय के अन्दर दिया गया है। अतः इस सस्था का पंजीकरण धारा 12A(2) के
अन्तर्गत निर्धारण वर्ष... 2009-10... से प्रभावी होगा, की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस कार्यालय में धारा 12A/AA के अधीन रखे गये आवेदन पत्र की पंजी में इस
आवेदन की आ०आ०/राँची/तकनीकी/VIII-103/12A/2009-10/ संख्या में प्रविष्टि कर दिया गया है।

[6/0]
आयकर आयुक्त, राँची

ज्ञापन संख्या: आ०आ०/तकनीकी/VIII-103/2009-10/739-41
राँची, दिनांक 21/12/2009

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. उपर्युक्त सस्था
2. अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र- राँची ।
3. सहायक/उप आयकर आयुक्त, अंचल- राँची ।



[21/12/09]
[पियूष राय]
सहायक आयकर आयुक्त (तकनीकी)
कृते : आयकर आयुक्त, राँची